

13.02.2023

अभियुक्त ने अदालत में स्वेच्छा से अपराध स्वीकार कर लिया है। अपराध स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा- 181,194डी मोटर यान अधिनियम पूर्णतया सिद्ध है। अतः उक्त अपराध में अभियुक्त को रू0 6000/- (छः हजार रुपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

(संदीप सिंह भण्डारी)
सीनियर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।